

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1143 / 36 (भी

दिनांक रानीखेत, जून 01.07.,2021.

सेवा में.

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोडा।

विषय :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मझेड़ा कुमारती सौरे नौरड मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.00 किमी.) (0.630है0) (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/22981/2016)

सन्दर्भ :-

EDS दिनांक 19.04.2021 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक EDS दिनांक 19.04.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण कर ऑन लाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :--

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1-	The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the authority letter. Kindly mentioned the same, as the name and designation of the competent authority is to be mentioned and seal is to be affixed as per the guidelines: also the scan of photo stat authority letter is uploaded. Kindly upload the scan of original authority letter.	प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु आथराइटी लैटर में i.e. आथराइज आथराइटी के पद व नाम वाला आथराइटी लैटर तैयार कर मूल में पार्ट—। में स्कैन कर ऑन लाईन कर दिया गया है।
2-	Area detail in village wise breakup not matched with area detail at other places.	ग्राम वाईज ब्रैकअप तैयार कर मिलान कर सम्पूर्ण डिटेल पार्ट—। में अंकित कर ऑन लाईन कर दी गयी है।
3-	FRA certificate is not uploaded. Only VLC meeting proceeding and NOC found uploaded. Kindly upload FRA certificate along with SDLC/VLC proceeding letter and NOC as per the village wise breakup B 2.3.	वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम वाईज तैयार कर S.L.D. की अनापत्ति व ग्राम वाईज डिटेल को पार्ट—। के B 2.3 मैं अंकित कर ऑन लाईन कर दी गयी है।
4-	(0-10) and (10-20) cm girth tree detail not mentioned in the tree list uploaded. Kindly clarify.	मोटर मार्ग के समरेखण अन्तर्गत 0—10 व 10—20 व्यास के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होते है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।